न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 22/2023

1. कानाराम पुत्र बालूराम
2. गोपाल पुत्र भूरा
3. गोपीराम पुत्र रामचन्द्र
4. जगदीश पुत्र रामचन्द्र
5. ज्यानादेवी पत्नि रामस्वरूप
6. पोखर पुत्र दूला
7. रामनारायण पुत्र लादू
8. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र
9. रामेश्वर पुत्र लादू
10. रामस्वरूप पुत्र सुवालाल
11. लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम
12. श्रवण पुत्र रामचन्द्र
13. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
    समस्त जाति अहीर, निवासी लोहरवाडा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
14. प्रमीला शर्मा पत्नि रामावतार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ठाकूरसी का बास तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नि लालचन्द जाति अहीर निवासी लोहरवाडा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री रामचन्द्र यादव वकील प्रार्थीगण
2. श्री लक्ष्मीकांत दाधीच वकील अप्रार्थीया

दिनांक :– 07.06.2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर खसरा नं0 189 रकबा 3.5027 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.5027 है. वाकै ग्राम लोहरवाडा प0ह0 हिंगोनिया तहसील जोबनेर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण कानाराम पुत्र बालूराम 13/276 हिस्सा गोपाल पुत्र भूरा 1/8 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रामचन्द्र 1/48 हिस्सा, जगदीश पुत्र रामचन्द्र 11/336वां हिस्सा ज्यानादेवी पत्नि रामस्वरूप 5/138 हिस्सा, पोखर पुत्र दूला 3/16 हिस्सा रामनारायण पुत्र लादू 3/32 हिस्सा रामनिवास पुत्र रामचन्द्र 13/336 हिस्सा, रामेश्वर पुत्र लादू 3/32 हिस्सा, रामस्वरूप पुत्र सुवालाल 1/12 हिस्सा, लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम 1/12 हिस्सा, श्रवण पुत्र रामचन्द्र 17/336 हिस्सा, सीताराम पुत्र रामचन्द्र 5/112 हिस्सा, श्रवण पुत्र रामचन्द्र 17/336 हिस्सा, सीताराम पुत्र रामचन्द्र 5/112 हिस्सा, प्रमीला शर्मा रामावतार शर्मा 1/16 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है ओर पारस्परिक सहमति से हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी ख0न0 213/3 रकबा 2.9336 है0 मे विपक्षीगण सं018 मोहनीदेवी पत्नि लालचन्द सम्पूर्ण भुमि की खातेदारी काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

(5)

उक्त आराजी वाकै ग्राम लोहरवाडा प0ह0 हिंगोनिया तहसील जोबनेर में स्थित है प्रार्थीगण की उक्त भूमि ख0न0 189 के दक्षिण मे ख0न0 213/3 रकबा 2.9336 है. अप्रार्थीया मोहनीदेवी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसके दक्षिण विजयगोविन्दपुरा से हिंगोनिया जाने वाली डामर रोड है इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 213/3 मे से मार्क ए से बी जो संलग्न नक्शे मे अंकित है प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख0न0 189 मे अपने अपने हिस्से की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिए आने जाने के लिए व मवेशियो को लाने ले जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता आराजी खसरा 213/3 मे से मार्क ए से बी जो 18 फिट चोडे रास्ते की आवश्यकता है उक्त मार्ग मौके पर चालू है लेकिन प्रार्थीगण को उक्त मार्ग रास्ता ए बी होकर ख0न0 189 मे प्रार्थीगण को अपने–2 हिस्से मे अप्रार्थीगण आने जाने नही देते है इसलिए प्रार्थीगण के पास वर्तमान मे अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त अप्रार्थीया की भूमि मे से रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकते है एवं कृषि यंत्रो को लाने ले जाने व पशुओ के लिए चारा वगेराह लाने ले जाने उसको सुविधा मिल सकती है इसलिए ख0न0 213/3 वाके ग्राम लोहरवाडा प0ह0 हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर संलग्न नक्शे मे दर्शित रास्ता 18 फिट चोडा मार्क ए से बी जो लाल रंग से दर्शित है प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जावे।

दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रर्थीया मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थीया द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 189 की जोत के लिए किसी प्रकार के रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा गलत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे खसरा नं0 213/3 के पश्चित में स्थित खसरा नं0 192/3, 192 के तथ्यो को छुपाया है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी संख्या 3 गोपीराम पुत्र रामचन्द्र व प्रार्थी सं0 12 श्रवण पुत्र रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। उक्त खसरा नं0 192/3 व 192 विजयगोविन्दपुरा से हिंगोनिया जाने वाली डामर सडक पर छुते हुए है। खसरा नं0 192/3 व 192 के सिंवजोड उत्तर की ओर खसरा नं0 189 है जिसमे जाने हेतु प्रार्थीगण ने अपनी स्वायं की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 192/3 व 192 मे से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। उक्त तथ्यो को प्रार्थीगण एवं तहसीलदार द्वारा तथ्य छुपाया गया है। खसरा नं0 192/3 व 192ए सीवजोड उत्तर की ओर स्वयं प्रार्थीगण के खसरा नं0 189 व 191 है। जिससे प्रार्थीगण आ जा सकते है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे 'ए' से 'बी' रास्ता चालू बताया है जबकि तहसीलदार रिपोर्ट के मद संख्या 8 में स्पष्ट अंकित है। बिन्दू 'ए' से 'बी' रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थीगण के खसरा नं0 192/3 व 192 मे से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। खसरा नं0 213/3 में 'ए' से 'बी' रास्ता देने पर अप्रार्थी की खातेदारी दो भागों में विभाजित हो जायेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 11.12.2023 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मौके पर प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता संलग्न नजरिये नक्शे में दर्शाये अनुसार खसरा नं0 213/3 में बिन्दू 'बी' से 'सी' तक है, जो वर्तमान में चालू कच्चा रास्ता है। यह वैकल्पिक रास्ता नजरिये नक्शे में दर्शाये अनुसार बिन्दू 'डी'–'ई' में मिलता है। उक्त रास्त बिन्दू 'डी'–'ई' से राजस्व रिकार्ड नक्शा लठ्ठा में दर्ज नहीं है, परन्तु मौके पर हिंगोनिया से विजयगोविन्दपुरा होते पचकोडिया रोड पर जाने वाली डामर सडक है। यह खातेदारी भूमि में है। अन्य कोई निकटतम रास्त नहीं है। रास्ते की आवश्यकता जरूरी है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। रास्ते की भूमि खसरा नं0 213/3 जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया के पक्ष में रहन दर्ज है। चाहे गये रास्ते की भूमि खसरा नं0 213/3 पर श्रीमान के न्यायालय का मौके की स्थिति को यथावत रखने का नोट है। संलग्न नजरिये नक्शा में दर्शाये अनुसार खसरा नं0 213/3 में बिन्दू 'ए–बी' प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता है। बिन्दू ए–बीत क रास्ते की लम्बाई 75 मीटर व चौडाई 16 फुट (4.87मीटर) लेने पर कुल चाहे गये रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग मीटर आता है। उक्त चाहा गया रास्ता भी हिंगोनिया से वियजगोविन्दपुरा होते हुए पचकोडिया रोड पर जाने वाली डामर सडक नजरिये नक्शे में दर्शाये अनुसार बिन्दू डी–ई में मिलता है। बिन्दू ए–बीत क चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। उक्त रास्ता खसरा नं0 213/3 को दो भागों मे विभाजित करता है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो को नोटिस देकर तैयार की गई है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर खसरा नं0 189 रकबा 3.5027 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.5027 है. वाकै ग्राम लोहरवाडा प0ह0 हिंगोनिया तहसील जोबनेर में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण कानाराम पुत्र बालूराम 13/276 हिस्सा गोपाल पुत्र भूरा 1/8 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रामचन्द्र 1/48 हिस्सा, जगदीश पुत्र रामचन्द्र 11/336वां हिस्सा ज्यानादेवी पत्नि रामस्वरूप 5/138 हिस्सा, पोखर पुत्र दूला 3/16 हिस्सा रामनारायण पुत्र लादू 3/32 हिस्सा रामनिवास पुत्र रामचन्द्र 13/336 हिस्सा, रामेश्वर पुत्र लादू 3/32 हिस्सा, रामस्वरूप पुत्र सुवालाल 1/12 हिस्सा, लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम 1/12 हिस्सा, श्रवण पुत्र रामचन्द्र 17/336 हिस्सा, सीताराम पुत्रव रामचन्द्र 5/112 हिस्सा, श्रवण पुत्र रामचन्द्र 17/336 हिस्सा, सीताराम पुत्र रामचन्द्र 5/112 हिस्सा, प्रमीला शर्मा रामावतार शर्मा 1/16 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है ओर पारस्परिक सहमति से हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी ख0न0 213/3 रकबा 2.9336 है0 मे विपक्षीगण सं018 मोहनीदेवी पत्नि लालचन्द सम्पूर्ण भुमि की खातेदारी काश्तकार है। उक्त आराजी वाकै ग्राम लोहरवाडा प0ह0 हिंगोनिया तहसील जोबनेर में स्थित है प्रार्थीगण की उक्त भूमि ख0न0 189 के दक्षिण मे ख0न0 213/3 रकबा 2.9336 है. अप्रार्थीया मोहनीदेवी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसके दक्षिण विजयगोविन्दपुरा से हिंगोनिया जाने वाली डामर रोड है इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 213/3 मे से मार्क ए से बी जो संलग्न नक्शे मे अंकित है प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख0न0 189 मे अपने अपने हिस्से की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिए आने जाने के लिए व मवेशियो को लाने ले जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता आराजी खसरा 213/3 मे से मार्क ए से बी जो 18 फिट चोडे रास्ते की आवश्यकता है उक्त मार्ग मौके पर चालू है लेकिन प्रार्थीगण को उक्त मार्ग रास्ता ए बी होकर ख0न0 189 मे प्रार्थीगण को अपने–2 हिस्से मे अप्रार्थीगण आने जाने नही देते है इसलिए प्रार्थीगण के पास वर्तमान मे अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त अप्रार्थीया की भूमि मे से रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकते है एवं कृषि यंत्रो को लाने ले जाने व पशुओ के लिए चारा वगेराह लाने ले जाने उसको सुविधा मिल सकती है इसलिए ख0न0 213/3 वाके ग्राम लोहरवाडा प0ह0 हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर

संलग्न नक्शे मे दर्शित रास्ता 18 फिट चोडा मार्क ए से बी जो लाल रंग से दर्शित है प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की जिसके तथ्य निम्न हैः– प्रार्थीगण ने धारा 251ए के तहत आवेदन पेश किया है जो कि अभिवचन नही है। ख0न0 213/3 के पश्चिम मे स्थित ख0न0 192/3, 192 है जो ख0न0 189 के लगवा है ख0न0 192/3 मे प्रार्थी सं03 गोपीराम पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी अंकित है। ख0न0 192 मे प्रार्थी सं012 श्रवण पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी अंकित है जो ख0न0 189 के लगवा है। उस प्रकार प्रार्थीगण के पास ख0न0 192/3 व 192 मे स्वयं की आराजी मे से रास्ते का विकल्प उपलब्ध है।

इस संबंध मे राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर आर टी 2018–2019 SUPP. 576 मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि खातेदार के पास स्वयं की भूमि मे से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो खातेदार की सुविधा के लिए नये रास्ते का आदेश नही दिया जा सकता।

राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर आर टी 2019(2) 1543 मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो न्यायालय को नया रास्ता सृजित करने हेतु न्यायोचित्यता नही है।

राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर आर टी 2022(2) 1286 मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251ए के अन्तर्गत सुगम मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नही है– नया मार्ग स्वीकृत नही किया जा सकता है यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।

धारा 251ए मे नया रास्ता कायम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू absolute necessiey and absence of alternative means of access proved लेकिन इस प्रकरण मे यह स्थिति नही है राजस्थान काश्तकारी नियम 69 के उपनियम ।। के अनुसार अन्य खातेदार की धृति मे से नये रास्ते के मामले मे, पहुच के वैकल्पिक मार्गो अभाव है के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। ख0न0 213/3 मे से बिन्दू ए से बी रास्ता देने पर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि 2 भोगो मे विभाजित हो जायेगी। प्रार्थीगण को अपनी जोत पर जाने के लिए रास्ते की अत्यंतिक आावश्यकता नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 189 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 213/3 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 189 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 213/3 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के मद संख्या 8 में यह स्पष्ट वर्णित है कि चाहा गया रास्त बिन्दू ए से बी मौके पर चालू नहीं है। तथा खसरा नं0 213/3 को दोनों भागों में विभाजित करता है। तहसीलदार रिपोर्ट के मद संख्या 5 में स्पष्ट अंकित है कि चाहे गये रास्ते की भूमि खसरा नं0 213/3 में जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया के पक्ष में रहन दर्ज है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण के पास वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन कर के अपनी भूमि की काश्त कर सकते है एवं पशुओं के लिए चारा लाने ले जाने में उनको सुविधा मिलेगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए (1) **"और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–**

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

(8)

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अपनी भूमि के सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए चाहा है। जबकि धारा 251ए (1) के अनुसार जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता, बल्कि प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि चाहे गये रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण ऐसा साबित करने में असफल रहे। साथ ही आराजी खसरा नं0 192/3 व 192 में प्रार्थी संख्या 3 व 12 खातेदार है। उक्त खसरा नं0 विजय गोविन्दपुरा से हिंगोनिया जाने वाली डामर सडक जिसे तहसीलदार रिपोर्ट में मार्ग डी–ई से दर्शित किया गया है, के लगवा है। प्रार्थीगण द्वारा अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। दिनांक 31.05.2024 को उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर द्वारा विवादीत स्थल का मौका देखा गया। जिसकी मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। जिसमे वर्तमान में मौके पर चालू कच्चा रास्ता बताया है, जो 213/3 को दो भागों में बाटता है।

अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 'ए' से 'बी' सुविधाजनक एवं सुगम नहीं है। और प्रार्थी संख्या 3 एवं 12 की भूमि खसरा नं0 192/3 एवं 192 विजयगोविन्दपुरा से हिंगोनिया जाने वाली डामर रोड के लगवा होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जोबनेर जिला जयपुर

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)